. D. .



प्रसा ग्रहरा

EXTRAORDINARY

भाग II----खण्ड 3---- उपखण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राथिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

7

नई बिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 1972/चैत्र 10, 1894

No. 179]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1972/CHAITRA 10, 1894

इस भाग में भिन्न एक संख्या ही जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 30th March 1972

- S.O. No. 246(E).—In exercise of the powers conferred by section 49 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the President hereby makes the following amendments in the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962 (3 of 1962), the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Estate Duty (Distribution) Act, 1962 (9 of 1962) and the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1969, namely:—
 - 1. In the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962, in section 3,—
 - (i) the following provision shall be inserted immediately after the Table in sub-section (1), namely:—
 - "Provided that the share of the distributable Union duties of excise payable to the State of Assam as it existed immediately before the 21st day of January. 1972, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Assam and the State of Meghalaya in the proportion of 2.27: 0.24";
 - (ii) for sub-section (2) as inserted by Order No. F. 12(3)-B/71 (GSR. 397-A) dated the 21st March, 1971, the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(2) There shall also be paid out of the Consolidated Fund of India to each of the States specified in column 1 of the Table below, an

amount equal to such percentage of the distributable Union duties of excise during the financial years 1970-71, 1971-72 and during each of the subsequent financial years, as is set out against it in columns 2, 3 and 4 respectively:—

TABLE

State		Percentage payable in 1970-71	Percentage payable in 1971-72	Percentage payable in subsequent years
τ		2	3	4
Himachal Pradesh Manipur Tripura		O· 17 	0-93 0-03 0-05	0·93 0·16 0·24"

- 2. In the Second Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, in paragraph 2,—
 - (i) for clause (bb) as inserted by Order No. F. 12(3)-B/71 (GSR. 397-A) dated the 21st March, 1971, the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(bb) to each of the States specified in column 1 of the Table below a sum equal to such percentage of the total net proceeds during the financial years 1970-71, 1971-72 and during each of the subsequent financial years, as is set out against it in columns 2, 3 and 4 respectively:—

TABLE

State		Percentage payable in 1970-71	Percentage payable in 1971-72	Percentage payable in subsequent years
I		2	3	4
Himachal Pradesh		0.12	0.66	o·66
Manipur Tripura	:	• •	0·04 0·05	0·18 0·26"

- (ii) The following proviso shall be inserted at the end of Table in clause (c), namely:—
- "Provided that the sum specified in the second column of the Table above, payable to the State of Assam, as it existed immediately before the 21st day of January, 1972, shall be construed, as from that date, as payable to the State of Assam and the State of Meghalaya in the proportion of 79.57: 5.51, and the sum payable to the State of Assam as it existed immediately before the 21st day of January, 1972, in pursuance of the percentage share specified against that State in the third column of the Table, shall be construed as from that date, as payable to the State of Assam and the State of Meghalaya in the proportion of 2.31: 0.16".
- 3. In the Estate Duty (Distribution) Act, 1962, in section 3,—
 - (!) for the existing proviso below sub-section (1) as inserted by Order No. F. 12(3)-B|71 (G.S.R. 397-A) dated the 21st March, 1971, the following proviso shall be substituted, namely:—
 - "Frovided that out of three per cent of the total net proceeds attributable to Union territories, there shall be paid to each of the States specified in column 1 of the Table below such percentage of the total net proceeds during the financial years 1970-71, 1971-72 and during each of

the subsequent financial years as is set out against it in columns 2, 3 and 4 respectively:—

TABLE

State		Percentage payable in 1970-71	Percentage payable in 1971-72	Percentage payable in subsequent years	
I		2	3	4	
Himachal Pradesh Manipur Tripura		o·o9 	o∙50 o∙o3 o∙o4	0·50 0·14 c·2c ⁻³ ;	

- (ii) the following proviso shall be inserted at the end of clause (b) of subsection (2), namely:—
 - "Provided that the share payable under clause (b) to the State of Assam, as it existed immediately before the 21st day of January, 1972, shall be construed as from that date, as payable to the State of Assam and the State of Mehalaya in the proportion of 2.58: 0.18".
- 4. In the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1969,-
 - (i) In paragraph 3,-
 - (a) the following proviso shall be inserted immediately below the Table in sub-paragraph (2), namely:—
 - "Provided that the share of taxes on income payable to the State of Assam as it existed immediately before the 21st day of January, 1972, shall be construed as from that date, as payable to the State of Assam and the State of Mehalaya in the portion of 2.49: 0.18";
 - (b) for sub-paragraph (3) as inserted by Order No. F. 12(3)-B/71 (GSR, 397-A) dated the 21st March, 1971, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(3) There shall also be paid to each of the States specified in column 1 of the table below an amount equal to such percentage of net proceeds of taxes on income, except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to Union territories or to taxes payable in respect of Union emoluments, during the financial years 1970-71, 1971-72 and during each of the subsequent financial years, as is set out against it in columns 2, 3 and 4 respectively:—

TABLE

State			Percentage payable in 1970-71	Percentage payable in 1971-72	Percentage payable in subsequent years
			2	3	4
Himachal Pradesh Manipur Tripura	•	:	o-q9 	0·47 0·02 0·04	0·47 0·12 0·18";

- (ii) the following further proviso shall be inserted after the existing proviso to paragraph 4, namely:—
 - "Provided further that the share of net proceeds of advance tax on income payable to the State of Assam, as it existed immediately before the 21st day of January, 1972 shall be construed as from that date, as

THE CONCELLE OF HADRY EVEL AND THAT OF

payable to the State of Assam and the State of Meghalaya in the proportion of 2.28.6...5 .

- (iii) in the Table in sub-paragraph (1) of paragraph 6,-
 - (a) for the existing figures under the columns for 1971-72, 1972-73 and 1973-74 against the State of Assam, the figures "19.84", "14.44" and "14.27" respectively shall be substituted;
 - (b) after the entire relating to the State of Kerala, the following shall be inserted, namely:—

(c) after the entries relating to the State of Tamil Nadu, the following shall be inserted namely:—

"Tripura . . . 2 · 54

oto

13.05

V. V. GIRI, PRESIDENT

No. F. 12 (5)-B/71

B. MAITHREVAN, Jy. Secy.

वित्त मंत्र लय

ग्रार्शिक कार्यविताग

ऋ।देश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1972

का० ग्रा० 246 (ग्र) — उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) ग्रिधिनियम, 1971 (1971 का 81वां ग्रिधिनियम) की धारा 49 के ग्रन्तर्गत प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (वितरण) ग्रिधिनियम, 1962 (1962 का तीसरा ग्रिधिनियम), ग्रितिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) ग्रिधिनियम, 1957 (1957 का 58वां ग्रिधिनियम), स पदा शुल्क (वितरण) ग्रिधिनियम, 1962 (1962 का नौवां ग्रिधिनियम) ग्रीर संविधान (राजस्व-वितरण) ग्रादेश, 1969 में निम्नलिखित सशोधन किये है, ग्र्यांत :—

- 1. केन्द्रीय उत्पादन शहक (वितरण) ऋधिनियम, 1962 की धारा 3 में :---
 - (j) उत्र-धारा (1) में, सारणी के तुरन्त बाद निम्नलिखिन परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात :--
 - "बशर्तें कि ग्रसम राज्य को जैसा कि वह 21 जनवरी, 1972 से ठीक पूर्व था, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों के विभाज्य देय हिस्से को उसी तारीख से ग्रसम राज्य तथा मेघालय राज्य को 2.27: 0.24 के ग्रानुपात में देय माना जायेगा;
 - (ii) म्रादेश संख्या एक 12(3)-बी /71 (सा० का० नि० 397-क) दिनांक 21 मार्च, 1971 के द्वारा जोड़ी गयी उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जायगी, म्रर्थात :--
 - "(2) वित्तीय वर्ष 1970-71, 1971-72 ग्रौर इसके बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभाज्य केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के उस प्रतिशत के बराबर की रकम, जो नीचे की सारणी में स्तम्भ 1 में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के सामने कमशः

स्तम्भ 2, 3 श्रीर 4 में दी गई है, उन राज्यों को भारत की समेकित निधि से दी जायगी।

सारणी

र	ाज्य				1970—71 में देय प्रतिशत	1971-72 में देय प्रतिशत	बाद के वर्षों में देय प्रति- शत
1					2	3	4
हिमाचल	प्रदेश				0.17	0.93	0.93
मणिपुर						0.03	0.16
व्रिपुरा विषुरा		•	•	•		0.05	0.24

^{2.} अतिरिक्त उत्पादन-णुल्क (विशेष महत्व की वस्तुवें) अभितियम, 1957 की दूसरी न्ध्रानुसूत्री के पैराग्राफ 2 में,

.(i) श्रादेण सख्या एफ 12 (3)—बी०/71 (सा० का० नि० 397—क) दिनांक 21 मार्च, 1971 द्वारा जोड़ेंगये खण्ड (खंख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड जोडा जायेगा, श्रर्थात :---

"(ख ख) नीचे की सारणी में, स्तम्भ 1 में उल्लिखित प्रत्येक राज्य को, वित्तीय वर्ष 1970-71, 1971-72 भौर उसके बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल शुद्ध राणि में से, उसके सामने के स्तम्भ कमशः 2, 3 भौर 4 में निर्धारित प्रतिशत के बराबर की रकम दी जायेगी :--

सारणी

शाज्य	राज्य			1970-71 में देय प्रतिमत	197172 में देय प्रतिशत	बाद के वर्षीं में देय प्रति- शत
1				2	3	4
 हिमाचल प्रदे श		·	····	0,12	0.66	0.66
मणिपुर .		•			0.01	0.18
क्रिपुरा .	•		•		0.05	0.26

(ii) खण्ड (ग) में, सारणी के श्रन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा, श्रर्थात्:—— "बशर्ते, श्रसम राज्य को, जैसा कि 21 जनवरी, 1972 से तुरन्त पूर्व था, उपर्युक्त सारणी के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट जो राशि देय थी, वह उस तारीख से श्रसम राज्य श्रीर मेघालय राज्य को 79.57: 5.51 के श्रनुपात में देय मानी जायेगी श्रीर उस सारणी के तीसरे स्तम्भ के मामने उस राज्य के सामने निर्दिष्ट प्रंतिशत हिस्से के श्रनुसार श्रसम राज्य को, जैसा कि वह 21 जनवरी, 1972

के तुरन्त पूर्व था, जो राशि देय थी वह उसी तारीख से ग्रसम राज्य ग्रौर मेघालय राज्य को 2.31:0.16 के श्रनुपात में देय होगी।"

3. सम्पदा गुल्क (वितरण) भ्रधिनयम, 1962 की धारा 3 में, (i) भ्रादेश संख्या एक 12 (3)-वी/71 (सा० का० नि० 397-क) दिनांक 21 मार्च, 1971 द्वारा उपधारा (1) के नीचे जोड़े गये वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, भ्रथात :--

बशर्में कि, कुल शुद्ध प्राप्तियों में से संघीय राज्य क्षेत्रों को देय मानी जाने वाली 3 प्रतिशत राशि मे से, नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित राज्यों को, वित्तीय वर्ष 1970-71, 1971-72 श्रौर उसके बाद प्रत्येक वर्ष में प्राप्त

कुल शुद्ध रकम के उस प्रतिशत के बराबर रकम दी जायेगी, जो इन राज्यों के सामने के स्तम्भ क्रमश: 2, 3 भ्रौर 4 में निर्धारित की गई है:—

सारगी

राज्य	राज्य		 1970-71 में देय प्रतिशत	1971-72 में देय प्रतिशत	बाद के वर्षी में देय प्रति- शत	
	प्रदेश .			0.09	0.50	0.50
मणिपुर					0.03	0.14
व ्निपुरा	•		i		0.04	0.20

म्रर्थात् .---"वशर्ते कि खण्ड (ख) के भ्रधीन भ्रमम राज्य को, जैसा कि वह 21 जनवरी,

(ii) उप-धारा (2) के खण्ड (खा) के भ्रन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा

- 1972 से तुरन्त पूर्व था, देय हिस्सा उसी तारीख से ग्रसम राज्य श्रीर मेघालय राज्य के बीच 2.58: 0.18 के श्रनुपात में देय माना जायेगा ।"
- 4. संविधान (राजस्य का वितरण) श्रादेश, 1969 में पैराग्राफ 3 में (i) में :—
 (क) उप-पैराग्राफ (2) की सारणी के तुरन्त बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगाः ग्राथीन :—
 - "बगर्तें कि भ्रमम राज्य को, जैसा कि वह 21 जनवरी, 1972 से तुरन्त पूर्व था, भ्राय सम्बन्धी करो का देय हिस्सा उसी तारीख से भ्रमम राज्य भ्रौर मेघालय राज्य
 - श्राय सम्बन्धी करो का देय हिस्सा उसी प्रारीख से ग्रमम राज्य ग्रौर मेधालय राज्य के बीच 2.49: 0.18 के श्रनुपात में देय माना जायेगा।"
 - (ख) 21 मार्च, 1971 के घादेश संख्या एफ 12 (3)—बी/71 (सा० का० नि० 397—क) के द्वारा निर्दिष्ट उप-पैराग्राफ (3) के स्थान पर निम्निखित उप-पैराग्राफ रखा जायगा अर्थात् :—
 - "(3) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य को आय सम्बन्धी करों की शुद्ध प्राप्तियों के उस अनुपात के बराबर की रकम भी, 1970-71, 1971-72 र्घार बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, संघीय राज्य क्षेत्रों के लिये मानी गयी प्राप्तियों की द्योतक प्राप्तियों या संघ की परिलब्धियों के सम्बन्ध.

में देय कर को छोड़ कर, ऋमशः स्तम्भ 2, 3 और 4 में इन राज्यों के नाम के सामने दिखाये गये अनुपातों के अनुसार दी जायेगी:---

संरगी

रा	ज्य				970 −7 1 मे देय प्रतिशत	1971-72 में देय प्रतिशत	
हिमाचल	प्रदेश		,		0.09	0.47	0.47
मणिपुर	•		•		• •	0.02	0.12
व्रिपुरा∦	•	•	•	•		0.04	0.18
•	देय भ्राय श्रौर मेघ) पैराग्राप क) श्रसग	ाकर की गालय राज क 6 के ' गराज्य में गन्तर्गत में	शुद्ध प्रग्रिः य के बीच अप-पैराग्राप सामने 1 जूदा ग्रांक	म प्राप्तियो 2.28: ह (1) र्क 971-72,	ंका हिस्सा, 0.16 के प ो सारणी में 1972-7:		ते ग्रसम राज्य भाना जायेगा ।" 74 के स्तम्भों
,	भौर			जायगा ८८	•	-C	
(मणिपुर	भौर				•	निष्टयां जोड़ी ज	गयेगी, प्रथति :-

वी० बी० गिरि, राष्ट्रपति ।

13.05

2.54

[संख्या एफ० 12(5)-वी०/71]

बी० मैत्रेयन्, सयुक्त सचिव ।

13.05"

"त्रिपुरा